परिशिष्ट 'ख'

(परिनियम 27 का खण्ड (7) देखिये)

अध्यापकों के लिए आचरण संहिता

जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति अभिवर्धन के लिए, जो विश्वास उसमें निहित किया गया है, उसके प्रति जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता संबंधी नेतृत्व की अपनी भूमिका का समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म से पवित्रता की भावना से उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक निर्वाह कर सकता है;

अब, अतएव उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनायी जाती है, जिसका पालन व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार के आचरण में वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाये:–

(1) प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से करेगा।

(2) कोई भी अध्यापक अपने छात्रों का मूल्यांकन करने में न तो कोई पक्षपात करेगा और न ही पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।

(3) कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरूद्ध अपने साथी या विश्वविद्यालय के विरूद्ध उत्तेजित नहीं करेगा।

(4) कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर छात्रों में भेदभाव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेगा।

(5) कोई भी अध्यापक, विश्वविद्यालय के समुचित निकायों तथा अधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने से इन्कार नहीं करेगा।

(6) कोई भी अध्यापक, विश्वविद्यालय के कार्यकलाप से संबंधित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा, जो उसके संबंध में प्राधिकृत न हो।

(7) कोई भी अध्यापक अन्य कोई रोजगार, अंशकालिक गृहशिक्षण (ट्यूशन) तथा कोचिंग कक्षायें नहीं चलायेगा।

(8) अध्यापक, कक्षाओं की शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।

(9) शैक्षिक कार्यक्रम पूरा कराने की दृष्टि से, कोई भी अध्यापक जहां तक सम्भव हो, पूर्व अनुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश लेगा।

(10) अध्यापक निरन्तर अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करता रहेगा।

(11) अध्यापक, प्रत्येक विश्वविद्यालय के शैक्षिक उत्तरदायित्व, यथा प्रवेश, छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षा संचालन, अंतरीक्षण (इनविजिलेंस), पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेगा।

(12) अध्यापक, लोकतंत्र, देश भक्ति और शान्ति के आदर्शों के अनुरूप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव जागृत करेंगें।

आज्ञा से,

(अंजली प्रसाद)

सचिव।